माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

E-mail: mpbse@mp.nic.in website: www.mpbse.nic.in

कार्या.--(0755) 2551650,276150 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/1068 /विद्योचित/2016 भोपाल,दिनांक–03 /09 /2016

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/949/1630/2016/20--2, भोपाल,दिनांक--05.07.2016 के अनुक्रम में सत्र 2016--17 से कक्षा--9वीं में व्यावसायिक ट्रेड के अन्तर्गत ब्यूटी एण्ड वेलनेस, बैकिंग एण्ड फायनेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल टेक्नालॉजी, हैल्थ केयर, फिजीकल एज्युकेशन एण्ड स्पोर्टस्, रिटेल, ट्रेव्हल एण्ड टूरिज्म तथा सत्र 2016--17 से कक्षा--11वीं में आई.टी. एवं सिक्यूरिटी व्यावसायिक ट्रेड के पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/1347/1378/2016/20–3, भोपाल,दिनांक--10.08.2016 के अनुसार एवं पत्र क्रमांक--83 दिनांक--29.07.2016 के द्वारा प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र प्रवर्तित व्यावसायिक शिक्षा योजना NSQF के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में व्यावसायिक शिक्षा विषय को समाहित करते हुए निम्नानुसार कक्षावार सब्जैट पैटर्न तहत करने का निर्णय लिया गया है :–

सब्जैट पैटर्न

स.क्र	कक्षा	पैटर्न
1.	कक्षा--9वीं एवं 10वीं में	1. तृतीय भाषा के स्थान पर व्यावसायिक ट्रेड के विकल्प के चयन की स्वतंत्रता रहेंगी।
		2. दो भाषायें (प्रथम भाषा,द्वितीय भाषा) तथा तीन मुख्य विषय यथावत रहेंगे।
2.	कक्षा--11वीं एवं 12वीं	1. प्रथम भाषा एवं तीन विषय संकाय के यथावत रहेंगे
		2. द्वितीय भाषा के स्थान पर व्यावसायिक ट्रेड के विकल्प के चयन की स्वतंत्रता रहेंगी।

03/9/16

उपसचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,म0प्र0

भोपाल

पृष्ठांकन/क्रमांक/ /विद्योचित/2016 भोपाल,दिनांक– / /2016

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष/सचिव निज सचिव, मा.शि.मण्डल,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ।
5. उपसचिव/परीक्षा नियंत्रक के निज सचिव,मा.शि.मण्डल,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय,भोपाल(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
7. आंचलिक अधिकारी एवं समस्त संभागीय अधिकारी मा.शि.मण्डल(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
8. [illegible]

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल
E-mail: mpbse@mp.nic.in **website:** www.mpbse.nic.in
कार्या.–(0755) 2550184, फैक्स.–(0755) 2551499, 2552061

"विज्ञप्ति"

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 224/2041/2016/20–3 भोपाल दिनांक 15/02/2017 के अनुक्रम में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत संबंधित विद्यालयों में सत्र 2017–18 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी अंग्रेजी सामान्य एवं हिन्दी सामान्य को अतिरिक्त विषय के रूप में चयन कर सकेगें ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मंडल,
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक /1482/ विद्योचित / 2017 भोपाल, दिनांक–03/08/2017

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष / सचिव / उपाध्यक्ष के निज सचिव, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ।
5. उपसचिव / परीक्षा नियंत्रक के निज सचिव मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. आंचलिक अधिकारी एवं समस्त संभागीय अधिकारी मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. सी.एस.ओ., परीक्षा की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।
10. समस्त जिला अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
11. समस्त मान्यता प्राप्त प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मंडल,
म.प्र. भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0, भोपाल

क्र./1593 /विद्योचित/2017 भोपाल, दिनांक 19/8/2017

– विज्ञप्ति –

माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 14/07/2017 द्वारा एन.एस.क्यू.एफ. के अंतर्गत संचालित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक शिक्षा का सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 30 अंक के स्थान पर 100 अंक का किया जाकर उसका 30 प्रतिशत अधिभार माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में प्रदर्शित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म0प्र0, भोपाल

पृ.क्र./1594 /विद्योचित/2017 भोपाल, दिनांक 19/8/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. निज सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, मा0शि0 मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक/सी.एस.ओ. मा0शि0 मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, मा0शि0 मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. आंचलिक अधिकारी इंदौर एवं समस्त संभागीय अधिकारी, मा.शि.मण्डल की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त जिला अधिकारी, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म0प्र0, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल
E-mail: mpbse@mp.nic.in **website:** www.mpbse.nic.in
कार्या.–(0755) 2550184, फैक्स.–(0755) 2551499, 2552061

क्रमांक /1566/ विद्योचित / 2017 भोपाल, दिनांक 27/9/2017

"विज्ञप्ति"

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा सत्र 2017–18 हेतु मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 से 12 तक की उर्दू विशिष्ट की **गौहर–ए–अदब** एवं उर्दू सामान्य की **गुलशन–ए–उर्दू** पुस्तकें लागू होगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मंडल,
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक /1567/ विद्योचित / 2017 भोपाल,दिंनाक–27/9/2017
प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष / सचिव / उपाध्यक्ष के निज सचिव, मा.शि.मण्डल,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ।
5. उपसचिव / परीक्षा नियंत्रक के निज सचिव मा.शि.मण्डल,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मा.शि.मण्डल,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. आंचलिक अधिकारी एवं समस्त संभागीय अधिकारी मा.शि.मण्डल,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, मा.शि.मण्डल,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. सी.एस.ओ., परीक्षा की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।
10. समस्त जिला अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
11. समस्त मान्यता प्राप्त प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मंडल,
म.प्र. भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

:: विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. के आदेश क्र. एफ–44–19/2016/20–2 भोपाल, दिनांक 26.08.2016 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण सत्र 2016–17 से कक्षा 9वीं एवं 10वी की वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांको की गणना हेतु बेस्ट ऑफ फाईव पद्धति अपनाई जाये, जिसके अन्तर्गत जिन 06 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ली जाती है उन में से जिन 05 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हो, परीक्षा परिणाम की गणना हेतु उन 05 विषयों के अंको को ही लिया जाये।

दिनांक 07.07.2017 माध्यमिक शिक्षा मण्डल में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जारी कार्यवाही विवरण पृष्ठांकन क्रमांक/1451/विद्योचित /2017 भोपाल, दिनांक 14.07.2017 के बिन्दु 2 के पैरा दो अनुसार हाईस्कूल (9वीं, 10वीं) में छः विषय–प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित होंगे। परीक्षाफल बेस्ट ऑफ फाइव पद्धति से अर्थात जिन 05 विषयों में अधिकतम अंक होंगे उनको महायोग में सम्मिलित करके परीक्षाफल घोषित किया जावेगा परन्तु पांच विषयों में (सैद्यांतिक तथा प्रायोगिक/Project) में पृथक्–पृथक उत्तीण होना अनिवार्य होगा। छटवा विषय जिसमें सबसे न्यूनतम अंक होंगे, की गणना महायोग में नहीं की जावेगी। छटवें विषय के अंक, अंकसूची में मात्र प्रदर्शित किये जावेंगे एवं इस विषय में उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य नहीं होगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/1459/विद्योचित/2017 भोपाल, दिनॉक 20/07/2017

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3– संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4– निज सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, मा.शि.म.म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5– अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रिय माधयिमक शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6– समस्त–संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7– समस्त–जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8– समस्त–प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय संस्थायें, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

E-mail: mpbse@mp.nic.in website: www.mpbse.nic.in
कार्या.–(0755) 2560184 फैक्स (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / [illegible] / विद्योचित / 2016

भोपाल, दिनांक 11 / 01 / 2016

// विज्ञप्ति //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कार्यपालिक समिति की बैठक दिनांक 07.08.2015 के प्रस्ताव एवं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय अनुमोदन दिनांक 29.12.2015 के अनुसार मंडल द्वारा N.C.C. का पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं तक ऐच्छिक विषय के रूप में सत्र 2016–2017 से लागू किया जावेगा। उपरोक्त पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल की अधिकृत वेबसाइट **www.mpbse.nic.in** पर देखा जा सकता है।

अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / 754 / विद्योचित / 2016

भोपाल, दिनांक 11 / 01 / 2016

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. निदेशक एन.सी.सी. संचालनालय, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।
7. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
8. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
10. आंचलिक अधिकारी, म.प्र. मा.शि.म. इन्दौर।
11. समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
12. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, मा.शि.मं. की ओर प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।
14. सी.एस.ओ. मा.शि.मण्डल, भोपाल और वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
15. समस्त सहायक सचिव परीक्षायें, मा.शि.मं.।
16. सहायक सचिव / समन्वय / गोपनीय / डाटा प्रभारी।
17. प्राचार्य, समस्त हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी विद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

E-mail: mpbse@mp.nic.in website: www.mpbse.nic.in
☎ कार्या.–(0755) 2551650,276150 फैक्स – (0755), 2552061

क्रमांक/1601/विद्योचित /2017 भोपाल, दिनांक 26/10/2017

आदेश

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र. के आदेश क्रमांक/एफ–44–19/2016/20–2 भोपाल दिनांक 26.08.2016 के तारतम्य में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक/1459/विद्योचित/2017 दिनांक 20.07.2017 जारी किया गया था ।

उपरोक्त आदेशो के तहत **Best Of five** से संबंधित निम्नलिखित बिन्दु अनुसार हाईस्कूल परीक्षा संबंधी प्रक्रिया सत्र 2017–18 से लागू की जावेगी ।

1. हाईस्कूल परीक्षा में छात्र 06 विषयों में सम्मिलित होकर यदि एक विषय मे अनुत्तीर्ण होता है तो **Best Of five** पद्धति के तहत छात्र का परीक्षा परिणाम जिन पांच विषयों में **Pass** है, के आधार पर घोषित किया जायेगा।

2. यदि छात्र दो विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र को दो विषयों में पूरक की पात्रता होगी और दोनों विषयों में हाईस्कूल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

3. यदि छात्र तीन विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।

4. 06 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 05 विषयों में उत्तीर्ण और एक विषय में अनुत्तीर्ण रहने पर **Best Of five** के तहत् घोषित किया गया है, तो ऐसे छात्र आगामी वर्ष में श्रेणी सुधार हेतु नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।

सचिव
माध्यमिक शिक्ष मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

पृ.क्रमांक/1602/विद्यो0 /2017 भोपाल, दिनांक 26/10/2017

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव–अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2– प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश, स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन, भोपाल की ओर प्रेषित।
3– आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश,भोपाल की प्रेषित।
4– संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर प्रेषित ।
5– निज सचिव,अतिरिक्त सचिव,उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक मा.शि.म. मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित ।
7– समस्त संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित ।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित ।
9– समस्त प्राचार्य,शासकीय/अशासकीय संस्थायें मध्यप्रदेश,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मंडल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

:: विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. के आदेश कं. एफ–44–19/2016/20–2 भोपाल, दिनांक 26.08.2016 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण सत्र 2016–17 से कक्षा 9वीं एवं 10वी की वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांको की गणना हेतु बेस्ट ऑफ फ़ाईव पद्धति अपनाई जाये, जिसके अर्न्तगत जिन 06 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ली जाती है उन में से जिन 05 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हो, परीक्षा परिणाम की गणना हेतु उन 05 विषयों के अंको को ही लिया जाये।

दिनांक 07.07.2017 माध्यमिक शिक्षा मण्डल में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जारी कार्यवाही विवरण पृष्ठांकन कमांक/1451/विद्योचित /2017 भोपाल, दिनांक 14.07.2017 के बिन्दु 2 के पैरा दो अनुसार हाईस्कूल (9वीं, 10वीं) में छः विषय–प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित होंगे। परीक्षाफल बेस्ट ऑफ फाइव पद्धति से अर्थात जिन 05 विषयों में अधिकतम अंक होंगे उनको महायोग में सम्मिलित करके परीक्षाफल घोषित किया जावेगा परन्तु पांच विषयों में (सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक/Project) में पृथक्–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। छटवा विषय जिसमें सबसे न्यूनतम अंक होंगे, की गणना महायोग में नहीं की जावेगी। छटवें विषय के अंक, अंकसूची में मात्र प्रदर्शित किये जावेंगे एवं इस विषय में उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य नहीं होगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन कमांक/1459/विद्योचित/2017 भोपाल, दिनॉक 20/07/2017

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3– संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4– निज सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, मा.शि.म.म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5– अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रिय माध्यिमक शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6– समस्त–संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7– समस्त–जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8– समस्त–प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय संस्थायें, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल